प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 26.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 26.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरुक-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान ''मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान'' चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 26.12.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरुकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 26.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई जनपद महोबा की पुलिस टीम ने अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम अभियान के क्रम में दिनांक- 25.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह हे0कां0 रामकरन, कां0 कुँवर पाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर एक नफर अभियुक्त साकिर खान पुत्र शेख अनीस उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मु0 राजेन्द्र नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के कानपुर महोबा हाइवे सड़क से कबरई वाईपास रोड़ पर इण्डिया ग्रेनाईट के सामने वांके बिहारी स्टोन मिल जाने वाली कच्ची सड़क के पास से हिरासत में लिया इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक के झोले में 610 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त के कब्जे से हुई इस बरामदगी के आधार पर थाना कबरई में मु0अ0सं0 391/24 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
2. हे0का0 रामकरन
3. कां0 कुँवर पाल

गिरफ्तार अभियुक्त-

शेख साकिर पुत्र स्व शेख अनीश उम्री 26 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्तिः-

अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक के झोले में 610 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद होना।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 171/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 26.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने नाबालिक का यौन उत्पीडन करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गयी व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह व उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना महोबकंठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 224/2024 धारा 137(2) /64 बीएनएस व 5/6 पाक्सो अधिनियम से संबंधित 01 नफर वाँछित अभियुक्त जसवन्त सिंह पुत्र हलकुट्टी कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के कनकुआ तिराहे के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करने हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह
2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त -

जसवन्त सिंह पुत्र हलकुट्टी कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकन्ठ जिला महोबा

महोबा पुलिस

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान चोरी के वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी की सम्पत्ति तथा निशांदेही पर चोरी की कुल 04 मोटर साइकिल की बरामदगी करते हुए मोटरसाइकिल व अन्य चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया गया है-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में चोरी की घटनाओं में प्रभावी रोक लगाए जाने व इन घटनाओं में सम्मिलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस टीमों द्वारा निरन्तर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज दिनांक-26.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब त्रिपाठी द्वारा गठित की गई उ0नि0 रमेश कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के निसवारा गांव की तरफ जाने वाली रोड पर बनी पुलिया के पास चेकिंग के दौरान एक नफर अभियुक्त भूपेन्द्र कुशवाहा पुत्र जयप्रकाश उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम निसवारा थाना पनवाडी जनपद महोबा जो पुलिस टीम को देखकर गाड़ी मोडकर भागने की फिराक में था जिसको दौडाकर पकड लिया गया, इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज हुआ साथ ही थाना पनवाड़ी में ग्राम छांछरी में एक माह पहले मनप्यारे कुशवाहा के घर मे चोरी के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 312/24 धारा 305/331(2) बीएनएस से सम्बन्धित 1500/- रुपये बरामद हुए, जिससे मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी एवं अन्य चोरी की गयी चार अदद मोटर साइकिल **1.**UP 94Z8119 होन्डा स्पोर्ट थाना महरौनी जिला ललितपुर से चोरी **2.**UP90F1164TVSXL SUPER थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्र के श्रीनगर रोड के पास से चोरी की **3.**UP95H8305 TVS STAR CITY कस्बा श्रीनगर महोबा से चोरी **4.**UP95S5615 HERO स्पेलेन्डर प्लस थाना खरेला क्षेत्र से चोरी की बरामदगी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 329/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया व गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 रमेश कुमार यादव 2. उ0नि0 दिनेश यादव
3. का0 मिथुन कुमार 4. का0 देवेन्द्र राजपूत

गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक इतिहास –

भूपेन्द्र कुशवाहा पुत्र जयप्रकाश उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम निसवारा थाना पनवाडी जनपद महोबा

1. मु.अ.सं. 131/22 धारा 411/413 भादवि थाना पनवाड़ी
2. मु.अ.सं. 45/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पनवाड़ी
3. मु.अ.सं. 312/24 धारा 305/331(2) बीएनएस थाना पनवाड़ी
4. मु.अ.सं. 329/24 धारा 3/25 आर्म्सएक्ट थाना पनवाड़ी

बरामदगी-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।
2. 1500/- रुपये नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 312/24 धारा 305/331(2)/317(2) बीएनएस
3. 04 अदद चोरी की गयी मोटर साइकिल बरामद होना।